न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती पूरण कुंवर पत्नि श्री भीमसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-वेरा जेतपुरा, तह. शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री पप्पूराम पुत्र नवाजी, जाति-मीणा, निवासी-बादला, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही
3. श्री प्रभूराम पुत्र ओटाजी, जाति-मीणा, निवासी-बादला, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 70/2018

''अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 29 जुलाई, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या: 01/2018 अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 23.7.2018 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को नही मानते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की सही व्याख्या नही कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को फायदा देने की नियत से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 218/116 एवं 235/139 में आने-जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलार्थीया को परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कानूनन परिपोषणीय नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रुप से निर्णय पारित किया गया है। यह कि अपीलार्थी के

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

खातेदारी भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को अपने सुविधा व मर्जी द्वारा खेत का उपयोग करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलार्थी के खातेदारी खेत में से आने जाने हेतु रास्ता चाहा जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को फायदा देने व अपीलार्थी के खेत की भूमि को अनुपयोगी बनाने के लिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये राजस्व कार्मिकों से मिली भगत कर गलत व झूठी रिपोर्ट तैयार करवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि का न तो कभी रास्ते के रुप में उपयोग हुआ एवं न ही विवादित भूमि पर कदीमी रास्ता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में अपीलार्थी के खेत की भूमि में रास्ता खोलने का गलत आदेश पारित किया है। विधि अनुसार यदि किसी काश्तकार के खेत में जाने हेतु रास्ता नही है तो धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ता प्राप्त करने का प्रावधान है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत नया रास्ता नही दिया जा सकता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में दर्ज अवरुद्ध रास्ता को ही खुलवाया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण बहस हेतु नियत हो जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के बयान लिये गये है, जबकि नियमानुसार प्रकरण बहस हेतु नियत हो जाने के बाद बयान नही लिये जा सकते थे। यदि लिये भी जाते है तो दोनों पक्षों की उपस्थिति में लिये जाने चाहिये ताकि दूसरे पक्ष को बयानों से जिरह का अवसर मिल सके। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRD-14.1.2010 रामफूल व अन्य बनाम राम सहाय व अन्य पृष्ठ संख्या 63 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत प्रस्तुत आवेदन का 45 दिन में निस्तारण करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को है, यदि तहसीलदार को सीधे ही धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होता है तो तहसीलदार उस आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत को 45 दिन की अवधि में निस्तारण करने हेतु प्रेषित करेगा। यदि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त होने की 45 दिन की अवधि में आवेदन का निस्तारण नही किया जाता है तो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियां प्रदत्त है। चूंकि विचारणीय प्रकरण में तहसीलदार, शिवगंज ने विधि में प्रदत्त उक्त प्रावधान की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है। अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि पर कदीमी से रास्ता था जिसका उपयोग प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के साथ आस-पास के सभी काश्तकार करते आ रहे थे। उक्त रास्ता कदीमी से परम्परागत रुप से चला आ रहा था, जिसे अपीलार्थी द्वारा जेसीबी से

.....पेज तीन पर

खाई खोदकर व कांटो की बाड बनाकर अवरुद्ध कर देने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने उक्त कदीमी रास्ते को खुलवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए मौके की जांच करवाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RBJ(25)2018 Page 117-121 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:एफ.5(21)राज/ग्रूप-4/80/34 दिनांक 04.9.1982 के द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियां 45 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायत को तथा तत्पश्चात् संबंधित तहसीलदार को प्रदत्त की गई थी। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 04.9.1982 को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:F.3(2)Rev.VI/2003/Pt./18, S.O. 122 dt. 6.7.2009 के द्वारा निरस्त किया गया है तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 06.7.2009 के राजपत्र में प्रकाशन तिथि 14.7.2009 के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 की शक्तियां ग्राम पंचायत को नही होकर अब केवल तहसीलदार को ही है। प्रकरण में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.5.2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि हमारी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नवावास, तहसील-शिवगंज की सीवं में स्थित खसरा संख्या 218/116 एवं 235/139 स्थित है, जिसमें आने-जाने हेतु पुराना रास्ता है जो राजस्व रेकर्ड भी दर्ज है एवं कई वर्षो से हमारे खेत में व अन्य खातेदारों के खेतो में आने जाने हेतु बना हुआ है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने का एक मात्र आम रास्ता जो बादला से देवली की ओर जाता है इस रास्ते का उपयेाग हम सभी खातेदार हमारे पूर्व रसाधिकारियों के समय से लगातार निर्बाध रुप से करते आ रहे है। हमारे पास में भीमसिंह, निवासी-वेरा जेतपुरा की कृषि भूमि स्थित है। भमीसिंह, निवासी- वेरा जेतपुरा ने उक्त रास्ते को अपनी कृषि भूमि में मिलाने के लिये अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द कर दिया है, इसलिये उक्त रास्ते को खुलवाने के आदेश पारित किये जाये।

प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा हल्का पटवारी, बादला से जांच करवाई गई तथा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी के अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी, बादला की रिपोर्ट दिनांक 31.5.2018 (जो तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत की गई है) में यह

....पेज चार पर

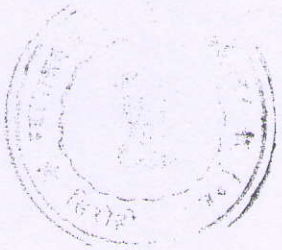

अंकित किया है कि यह रास्ता ग्राम बादला से नवावास होते हुए ग्राम देवली को जाता है, यह रास्ता ग्राम बादला के खसरा संख्या 5/1 व 5/2 में चल रहा है जिसके दूसरी तरफ ग्राम नवावास की सीमा है। खसरा संख्या 5/1 व 5/2 के खातेदार पूरणकंवर पत्नि श्री भीमसिंह राजपूत, निवासी- वेरा जेतपुरा है जिन्होनें अपनी खातेदारी खसरा संख्या 5/1 व 5/2 में चल रहे उक्त कदीमी रास्ते को कांटो की बाड डालकर बन्द कर दिया है, जिससे मौके पर आवागमन बन्द है। उक्त रास्ता रेकर्ड में दर्ज नही है, परन्तु पुराने समय से लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार, हल्का पटवारी, बादला की उक्त रिपोर्ट दिनांक 31.5.2018 के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम बादला के खसरा संख्या 5/1 व 5/2 में कदीमी रास्ता है, जिसे खसरा संख्या 5/1 व 5/2 के खातेदार ने कांटो की बाड से बन्द कर अवरुद्ध कर दिया था।

जहां तक, अपीलार्थी का पक्ष यह तर्क कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 की शक्तियां 45 दिन तक ग्राम पंचायत को है तथा 45 दिन के बाद ही तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की शक्तियां प्रदत्त है? इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त RBJ(25)2018 Page 117-121 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 दिनांक 04.9.1982 के द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियां 45 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायत को तथा तत्पश्चात् संबंधित तहसीलदार को प्रदत्त की गई थी। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 04.9.1982 को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:F.3(2)Rev.VI/2003/Pt./18, S.O. 122 दिनांक 06.7.2009 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 06.7.2009 के राजपत्र में दिनांक 14.7.2009 के प्रकाशन होने के पश्चात् राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 04.9.1982 अस्तित्व में नही है तथा ग्राम पंचायत को दिनांक 14.7.2009 के पश्चात् धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की शक्तियां प्रदत्त नही है। दिनांक 14.7.2009 के पश्चात् धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की शक्तियां तहसीलदार को है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.7.2018 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज व हल्का पटवारी, बादला द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.7.2018 की पालना में ग्राम बादला के खसरा संख्या 5/1 एवं 5/2 में मौके पर बन्द रास्ते से कांटो की बाड एवं खाई को हटाकर खुलवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही